Fin 38
Income Tax - Some features
आय कर - कुछ विशेषताऐं

पंजीकरण प्रक्रीया (रजिस्ट्रेशन) :
संस्था की स्थापना घोषित होने के एक साल के अंदर (इनकम टॅक्स एक्झमशन) आय कर से मुक्ती/माफी/छूट पाने के लिये इनकम टॅक्स कमिशनर को फॉर्म क्र. 10A भरकर अर्जी देना आवश्यक है । अर्जी के साथ पंजीकरण का दाखला जोड़ना जरूरी है । जहा लागू होगा ऐसी संस्थाओं को पिछले तीन सालों के लेखा परीक्षण किये हुए हिसाब की दो प्रते जोडना आवश्यक है । कई संस्थाए स्थापना के बाद 20-25 साल भी 10A फार्म नहीं भरती । जब ऐसी संस्था आयकर छूट के जाती है तो उनको कई बार पिछले सालों का टॅक्स और उसपर इकठ्ठा हुआ व्याज भरना पडता है ।
एन.जी.ओ. को साधारणत: चार प्रकार के आय कर लागू होते है ।

- विश्वस्त संस्था के मुख्य संग्रह (Corpus) में दिया हुआ दान ।
- दान या अन्य राशी
- कारोबार से हुई आमदनी
- कॅपिटल से हुई आमदनी ।
- आयकर में छूट की माँग करते समय कुछ मुद्दों का ध्यान देना जरूरी है ।
- अगर दाता ने कॉर्पस के लिये चंदा दिया है तो वह आप बीना उपयोग किये रख सकते हो ।
- अगर प्रोजेक्ट के लिये चंदा दिया है तो उसका 85 % आपको खर्च करना ही पडेगा । अगर नहीं कर सकते तो 5 साल के बाद उसपर टॅक्स देना पडेगा ।

- आपकी संस्था का मुख्य हेतू क्या है ? क्या आप गरीबों को मदत करने का काम करते है, या व्यापार करते है, या ऐतिहासिक वास्तुओं का संरक्षण और देखभाल करते है । इसके उपर अलग नियम लागू होंगे । गांधीवादी संगठन जो खादी बेचते है उनको पहले 10 लाख तक आमदनी तक छूट मिली थी । अब ये मर्यादा 25 लाख कि गयी है । अगर आपकी संस्था को मार्च महिने में कुछ राशि मिलती है तो ऐसा माना जाएगा की यह राशी अगले साल में इस्तेमाल करने के लिये है ।
- इकठ्ठा कियी हुई राशी खर्च करने के बारे में सेक्शन 11.5 के नियम लागू होंगे । ये राशी अगर निश्चित किये हुए काम के लिये नहीं इस्तेमाल कि गयी तो छूट रद्द हो जाएगी । अगर संस्था सेक्शन 11.5 के नियमों के आधारपर निवेश करती है तोही इसमें छूट मिलेगी।
- एक विश्वस्त संस्था दुसरे विश्वस्त संस्था को इकठ्ठा किसी हुई राशी कर बचाने के लिये नहीं दे सकती । आपकी संस्था को ही वह राशी खर्च करनी पडेगी ।

सेक्शन 13 के हम ''इंटरेस्टेड पार्टी'' की बात करते है ।

- अगर राशी का इस्तेमाल समाज के हित के लिये नहीं किया गया ।
- अगर किसी एक धर्म या जाती के लोगों को ही राशी से फायदा दिया ।
- अगर कोई सदस्य और उनके रिश्तेदारों के फायदे के लिये राशी का उपयोग किया या ।
- अगर सेक्शन 11.5 में दिये गये मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए राशी का निवेश किया गया ।

तो सेक्शन 13.3 के मुताबिक ''इंटरेस्टेड पार्टी'' कौन है :

- एन जी ओ के संस्थापक ।
- बड़ी राशी दान करनेवाले दाता जिसने खुद ने संस्था कि सेवाओं का लाभ लिया हो ।
- विश्वस्त, व्यवस्थापक, पदाधिकारी और उनके रिश्तेदार ।
- कोई संस्था/कंपनी जिनमें उपर दिये हुए व्यक्तिओं का फायदा हो ।

एन जी ओ के ''धर्मादाय'' या ''समाजसेवा'' कार्यो के अंतर्गत निचे दिये हुये कार्य आते है :

- गरीबों को मदत करना ।
- दवाइयाँ और अन्य उपचार
- शिक्षा
- पर्यावरण हित के प्रकल्प - पानी या जंगल संबंधी
- ऐतिहासिक और कलात्मक वस्तू या इमारतों की देखभाल
- सामान्यजनों के हित का / उपयोग का कोई भी काम

सामाजिक संस्थाओं को व्यापार या व्यवसाय करने की कानूनन अनुमती नहीं है लेकिन कुछ व्यवहार उनको करने पडते है ।

- संस्था का हेतू साध्य करने के लिये किया हुआ व्यापार/व्यवसाय ।
- इनके स्वतंत्र / अलग अकाउंटस् (हिसाब) लिखने पडेंगे ।

80G प्रमाणपत्र पाने के लिये संस्था को फार्म 10H भरना पडेगा । इसके साथ कुछ दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

१. आयकर पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रत
२. स्थापना में या पिछले तीन सालों में किये हुए कार्यक्रम/कार्य
३. स्थापना में या पिछले तीन सालों में किये हुए कार्यक्रम / कार्य
४. स्थापना में या पिछले तीन सालों का अकाउंटस्

किसी एक जाती या धर्म को मदत करनेवाली संस्थाओं को 80G के अंतर्गत छूट नहीं मिलती । लेकिन दिल्ली से कुछ गुरुद्वारों को और कॅथिइल चर्च को यह छुट मिली है । लेकिन इसका कारण है कि ये ऐतिहासिक महत्व की इमारते है और उनका रक्षण और जतन करने के लिये ये छूट दि गयी है ।
दिनांक 1-10-2009 से 80G का पंजीकरण स्थायि हो गया है । इसके पहले अगर पंजीकरण हुआ है तो 3 या 5 साल बाद फिरसे अर्जी करनी पडती थी । अभी आप अर्जी करेंगे तो स्थायि पंजीकरण किया जायेगा ।